

27/12/22

पत्रावली पेश हुई वकील पार्थ उपस्थित
पार्थ अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन
दिया कि उक्त प्रकार विधवा करना चाहते
हैं तथा प्रती कि विरह का भवती नहीं चाहते
हैं अतः पार्थ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क्षमता
धारा 14 सरफेसी एक्ट 2002 इसी स्टेज पर
स्वीकार किया जाता है पत्रावली के लिये शुभारंभ
होकर सविनय निवेदन है।



कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)